

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी चाण्ड

केस संख्या

83/23

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/1/23	<p>पत्रावली पेश हुई थी जो 6/1/23 तक बार-बार कालांतर में की जा चुकी है। अतः अदम एवं पेशी के बीच में खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तकरीबन 6/1/23 तक ही</p> <p style="text-align: center;">26 उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाण्ड (जिला)</p>